

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.— 77ए/2015
संस्थित दिनांक— 11.08.2015

श्रीमति फूलाबाई उर्फ भुला पत्नी अलमा जाति आदिवासी,
आयु 51 साल पेशा मजदूरी निवासी ग्राम महोली,
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादिया

विरुद्ध

1. तुलाराम पुत्र हम्मीर जाति गडरिया पाल उम्र 51 साल,
2. कुँअरपाल पुत्र हम्मीर जाति गडरिया पाल उम्र 46 साल,
3. जशरथ पुत्र हम्मीर जाति पाल आयु 28 साल,
सभी का पेशा खेती सभी निवासीगण ग्राम महोली,
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश मण्डल अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 22.09.2017 को पारित ::

01— यह वाद ग्राम महौली तहसील चंदेरी की आबादी भूमि में स्थित कच्चा मकान 20 गुणित 40 वर्गफीट जिसकी चौहादी नजरु नक्शों में दर्शायी गई है तथा जिसे आगे के चरणों में विवादित मकान के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर वादी का स्वत्व व अधिपत्य घोषित किये जाने के साथ प्रतिवादीगण के पक्ष में विवादित मकान के संबंध में निष्पादित अनुबंध दिनांक 05.08.2015 को वादी के हितों के मुकाबलें शून्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित विवादित मकान का अधिपत्य दिलाये जाने एवं अधिपत्य प्राप्त होने तक 1000/— रुपये प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति अंतर लाभधन दिलाये जाने की सहायता सहित उक्त विवादित मकान में वादिया के अधिपत्य में प्रतिवादीगण को व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित किये जाने हेतु, स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित मकान में वादियां ने कमरा व टपरो का निर्माण मेहनत मजदूरी करके 30 वर्ष पूर्व कराया था जिसमें वह अपने बच्चों के साथ शांति पूर्व निवास कर रही थी वादिया का पति दूसरी औरत लेकर चला गया था, उक्त विवादित मकान से वादिया के पति एवं प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण, वादिया से विवादित मकान उन्हें विक्रय करने का कई बार कहे चुके हैं। जिसे मना करने पर प्रतिवादीगण ताकत बल के पर विवादित मकान हड़पना चाहते हैं। दिनांक 05.08.2015 को प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वादिया के मकान का सामान जबरन फेंक दिया और मारपीट और गालियां दी और उसका टपरा हटा दिया और दिनांक 05.08.2015 को जबरन मकान बनाने के लिये सामग्री डालने लगे, जिसके संबंध में वादिया ने पंचों को बताया था। प्रतिवादीगण जबरन वादिया को मकान से बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए यह वाद 40,000/- रुपये वादमूल्य निर्धारित कर कुल 600/- रुपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक-1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02— प्रतिवादी क्रमांक-1 लगायत 3 का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम महोली तहसील चंदेरी की आबादी भूमि में वादिया का विवादित मकान नहीं है, वादिया ग्राम महौली में निवास नहीं करती हैं, वह ग्राम बुमरिया में अपने पति अलमा को छोड़कर दूसरे व्यक्ति मेहताब पुत्र बृजभान लोधी को पति बनाकर उसके साथ निवास कर रही है। वादियां लखन पुत्र अलमा के एक कच्चे कमरे व पटोर को अपना बता कर अन्य लोगों के बेहकाबे में आकर विवाद उत्पन्न कर रही हैं। 30 वर्ष पूर्व वादियां ने विवादित मकान का कोई निर्माण नहीं किया। प्रतिवादी क्र-1 ने उक्त विवादित मकान लखन पुत्र अलमा आदिवासी से क़य किया है, जिसकी जानकारी वादिया को लगने पर वादिया अपने पति अलमा से रुपये मांगने गई थी तथा प्रतिवादीगण के पास भी मकान के एबज में रुपये मांगने आई थीं। वादियां 7-8 साल से ग्राम महोली में नहीं रह रही है इसलिए दिनांक 05.08.2015 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादिया के साथ झगडा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण के पुत्र गनेशराम ने विवादित मकान में निर्माण कर उसे रहने लायके बनाया है और उसमें परिवार सहित निवास कर रहा है। वादिया ने मध्यप्रदेश शासन को भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है तथा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया है।

03— विवादित मकान प्रतिवादी क्रमांक-1 के पुत्र गनेश राम ने विधिवत लखन आदिवासी से क़य कर कब्जा प्राप्त कर अनुबंध किया है जिसे वादिया अपना बता रही है। वादिया ने क्रेता और विक्रेता दोनों को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। वादी ने मध्यप्रदेश शासन को 80

सीपीसी का सूचना प्रेषित नहीं किया है और न ही न्यायालय से 80 (2) सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया है। शासकीय आबादी भूमि पर कब्जे का कोई प्रमाण वादिया के द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादिया ने प्रतिवादीगण को मात्र परेशान करने के उद्देश्य से दावा किया है, जिसे सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

04— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या ग्राम महोली, तहसील चंदेरी में आबादी भूमि में स्थित कच्चा मकान 20 बाय 40 फीट, जिसके पूर्व में महेश लोधी का मकान, पश्चिम में कल्लु, उत्तर में रामकली एवं दक्षिण में सुरेश का मकान स्थित है, वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की हैं ?	प्रमाणित नहीं है।
2.	यदि, हाँ, तो क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादी के आधिपत्य के उक्त मकान में हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं है।
3.	क्या वादी उक्त मकान के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने की अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं है।
4.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित नहीं है।
5.	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का दोष है ?	प्रमाणित है।
6.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 25 अनुसार प्रदान किया गया।

—सकारण निष्कर्ष—

वाद प्रश्न क्रमांक-1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त सभी वाद प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

वादी फूलाबाई (व0सा0-1) का विवादित मकान के संबंध में अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित मकान का निर्माण उसने मेहनत मजदूरी करके 30-31 वर्ष पूर्व कराया था तथा उक्त मकान के उसके स्वत्व का हैं, जिसमें वह शांतिपूर्वक रह रही थीं। जिस पर ढेड वर्ष पूर्व तुला राम बगैरह ने ताकत के बल पर उसका कच्चा घर मिटाकर अपना टीन शैड डाल कर न्यायालय के स्थगन के बाद भी कब्जा कर लिया था। फूलाबाई (व0सा0-1) के समर्थन में हटेशिंह (व0सा0-3) मोहर सिंह वसा (व0सा0-2) व सेंधपाल (व0सा0-4) का भी अपने सशपथ कथनों में यह कहना है कि वादी ने विवादित मकान का निर्माण मेहनत मजदूरी करके 30-31 वर्ष पूर्व किया था जिस पर सवा साल पूर्व प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर लिया।

06— प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में प्रतिवादी तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं जिनका वादी के अभिवचनों एवं दिये गये उपरोक्त कथनों में यह कहना है कि फूलाबाई (व0सा0-1) का ग्राम महौली में कोई मकान नहीं है, वह ग्राम बुमरिया में अपने दूसरे पति के साथ निवास करती है। वादी के द्वारा सरपंच सेंधपाल (व0सा0-4) से फर्जी प्रमाणिकरण बना लेने के कारण वह प्रतिवादीगण को परेशान कर रही थीं, जबकि विवादित मकान जिस भूमि पर हैं, वह ग्राम आबादी की भूमि हैं, जो कि तुलाराम (प्र0सा0-1) के पुत्र गनेशराम ने 42,500/- रुपये की राशि लखन आदिवासी को गवाहों के समक्ष देकर कच्ची लिखापट्टी अपने नाम पर करावाई है।

07— तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) ने अपने सशपथ कथनों में यह व्यक्त किया है कि विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित है वह ग्राम आबादी की भूमि हैं तथा उक्त तथ्य के प्रमाणित करने के लिये प्रतिवादीगण की ओर से ग्राम महौली की भूमि सर्वे क्रमांक 319 रक्बा 1.014 एवं सर्वे क्रमांक 301 रक्बा 0.167 हैक्टेयर का वर्ष 2015-16 के खसरो की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी-2 व 3 प्रकरण में प्रस्तुत की है जिसमें उपरोक्त भूमियों को ग्राम महौली की आबादी की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। वादी फूलाबाई सहित उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने मुख्यपरीक्षण में इस बात का कही कोई

उल्लेख नहीं किया है कि विवादित मकान किस सर्वे क्रमांक पर स्थित है।

- 08— वादी फूलाबाई (व0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—7 में यह स्वीकार करती है कि विवादित मकान जिस भूमि पर है वह भूमि, पंचायत की सरकारी जमीन पर बनी हैं। हट्टेसिंह (व0सा0—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित मकान जिस भूमि पर है वो शासकीय भूमि हैं तथा मोहर सिंह (व0सा0—2) व सेंधपाल (व0सा0—4) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात की पुष्टि की है कि विवादित भूमि ग्राम आबादी की शासकीय भूमि है। अतः अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति प्रकट नहीं होती है कि विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित हैं, उक्त भूमि ग्राम महोली की आबादी की भूमि होकर शासकीय भूमि हैं।
- 09— वादी फूलाबाई (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करती हैं कि विवादित भूमि पर 20 साल पहले उसने अपने मर्जी से कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसके पास रहने के लिये कोई घर नहीं था तथा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है उसे शासन से कोई पट्टा भी प्राप्त नहीं हुआ था। जबकि उसके द्वारा कलेक्टर और तहसीलदार को इस संबंध में आवेदन भी दिया गया था तथा उसने भूमि पर कब्जों का जुर्माना भी भरा है जो पूर्व में उसके सास—ससुर भरते थे। मोहर सिंह (व0सा0—2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादी को विवादित मकान बनाने के लिये आबादी की भूमि में शासन से कोई पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। सेंधपाल (व0सा0—4) जो कि ग्राम महोली का सरपंच है स्वयं भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि वादी फूलाबाई (व0सा0—1) को शासन से कोई पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है।
- 10— अतः फूलाबाई (व0सा0—1) सहित अन्य वादी साक्षियों के उपरोक्त कथनों से स्वतः ही यह प्रमाणित होता है कि विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित है उक्त भूमि वादी को शासन से पट्टे से प्रदान नहीं की गई। वादी विवादित भूमि पर 30—31 साल पहले से अपना कब्जा होना बताती है तथा इस संबंध में जुर्माना भी भरना बताती है, परन्तु वादी की ओर से कब्जों के प्रमाण के रूप में कोई रसीद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं वादी की ओर से विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व को साबित करने के लिये एकमात्र दस्तावेज प्रदर्श—पी—1 का प्रमाणिकरण प्रकरण में प्रस्तुत किया है तथा विवादित मकान पर अपना कब्जा प्रमाणित करने के लिये थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को प्रतिवादीगण के द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की लिखित

शिकायत प्रदर्श-पी-2, 3 व 4 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है एवं कब्जों के प्रमाण के रूप में ग्राम महोली की मतदाता सूची प्रदर्श-पी-5 व समग्र आईडी की सूची की प्रति, प्रदर्श-पी-6 प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं।

- 11— यह उल्लेखनीय है कि विधि इस संबंध में सुस्थापित है कि किसी दस्तावेज को मात्र प्रदर्शित कर दिये जाने से उक्त दस्तावेज साबित नहीं होता है बल्कि उक्त दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना चाहिए। विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित हैं, उसके संबंध में वादी को शासन से कोई पट्टा प्राप्त नहीं हुआ, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। सेंधपाल (व0सा0-4) जो ग्राम महोली का सरपंच है के द्वारा प्रदर्श-पी-1 का प्रमाणिकरण वादी के पक्ष में इस बाबत जारी किया गया है कि फूलाबाई के स्वामित्व का ग्राम महोली विवादित मकान हैं, जो कि कच्चा है, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने आबादी भूमि के संबंध में शासकीय अभिलेख नहीं देखा है। प्रदर्श-पी-1 का प्रमाणिकरण किस सर्वे क्रमांक के किस भाग के संबंध में जारी किया गया है, यह प्रमाणिकरण में स्पष्ट नहीं है तथा उक्त प्रमाणिकरण जारी करने का आधार ही सेंधपाल (व0सा0-4) के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।
- 12— यहां मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 244 का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं जो आबादी की भूमि के व्ययन के संबंध में उपबंध हैं। धारा 244 के अनुसार “आबादी स्थलों के निपटारे के संबंध में बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुये ग्राम पंचायत या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहां तहसीलदार आबादी क्षेत्र में के स्थलों का निपटारा करेगा” उक्त प्रावधान के अनुसार ग्राम आबादी की भूमि नियमों के अध्याधीन रहते हुये आंबटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को हैं, और यदि ग्राम पंचायत नहीं है तो उक्त भूमि तहसीलदार के द्वारा आंबटित की जा सकती है।
- 13— विवादित मकान आबादी भूमि पर है, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है तथा वादी के द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसे शासन से आबादी की भूमि का कोई पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। उक्त विवादित मकान बनाने के लिये वादी को ग्राम पंचायत के द्वारा अथवा तहसीलदार के द्वारा आबादी भूमि आंबटित की गई थीं, ऐसे कोई अभिवचन वादी की ओर से नहीं किये गये और न ही इस संबंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत महोली के सरपंच सेंधपाल (व0सा0-4) के द्वारा प्रदर्श-पी-1 का प्रमाणिकरण तो जारी कर दिया गया, परन्तु उक्त प्रमाणिकरण किस आधार पर जारी किया गया, यह इस साक्षी ने अपने कथनों

में स्पष्ट नहीं किया है। सेंधपाल (व0सा0-4) का कहीं भी यह कहना नहीं है कि ग्राम पंचायत महोली के द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर वादी को आबादी की भूमि आंबटित की गई। अतः उपरोक्त आधार पर विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित हैं, उस पर वादी का स्वामित्व भी प्रमाणित नहीं होता है।

14— जहां तक विवादित मकान पर वादी का 30 से 31 वर्षों से अधिपत्य होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में वादी के अभिवचनों का एवं वादी साक्षियों के इस संबंध में दिये गये कथनों का प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में स्पष्ट खण्डन किया है तथा प्रतिवादी तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) का अपने कथनों में यह कहना है कि विगत लगभग 10 वर्षों से वादियां ग्राम महोली में नहीं रह रही हैं बल्कि दूसरे पति के साथ ग्राम बमोरिया में निवास कर रही हैं।

15— वादी फूलाबाई (व0सा0-1) सहित हट्टेसिंह (व0सा0-3), मोहर सिंह (व0सा0-2) व सेंधपाल (व0सा0-4) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि विवादित मकान पर वर्तमान में वादी का कब्जा नहीं है तथा स्वयं वादी भी विवादित मकान पर तुलाराम का कब्जा होना स्वीकार करती है। तुलाराम के द्वारा विवादित मकान पर प्रकरण के विचारण के दौरान कब्जा किया गया है। इस संबंध में वादी के कोई अभिवचन नहीं हैं बल्कि वादी के अभिवचनों में विवादित मकान पर अपना ही अधिपत्य होना दर्शाया गया है तथा इस आशय का कोई संशोधन प्रकरण के विचारण के दौरान नहीं किया गया कि प्रतिवादीगण ने वाद लंबित रहने के दौरान विवादित मकान पर कब्जा किया है। अतः ऐसे में वादी साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन अभिवचनों के ही विपरीत हैं।

16— वादी का विवादित मकान पर कभी भी कब्जा रहा है, इसको साबित करने के लिये वादी की ओर से न तो जुर्माने की रसीद प्रस्तुत की गई और न ही कब्जों का कोई युक्तियुक्त प्रमाण ही प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से अपने समर्थन में ग्राम महोली की वोटर लिस्ट व समग्र आईडी की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं, परन्तु उक्त दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि में नहीं आते हैं, जिससे उन्हें साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है, यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे, कि वादी का नाम ग्राम महोली के वोटरकार्ड में हैं तब भी विवादित मकान पर वादी का कब्जा 30-31 वर्ष से रहा है, इसको साबित करने के लिये यह दस्तावेज पर्याप्त नहीं है।

17— वादी की ओर से प्रतिवादीगण के द्वारा उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को दिये गये आवेदन की प्रति प्रदर्श-पी-2, 3 व 4 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, परन्तु उक्त प्रति किसके द्वारा प्राप्त की गई, न तो यह स्पष्ट है कि न ही संबंधित कार्यालय की कोई सील ही उस पर अंकित है। अतः ऐसे में मात्र प्रदर्श-पी-2, 3 व 4 के दस्तावेज प्रस्तुत कर देने से उसकी अंतर वस्तु एवं वास्तव में उक्त शिकायतें वादी के द्वारा दिनांक 10.08.2015 को थाना प्रभारी हरिजन कल्याण पुलिस अधीक्षक अशोकनगर एवं जिला कलेक्टर अशोकनगर को की गई थीं, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

18— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित है, उस पर अपना स्वामित्व साबित करने में सफल नहीं हुआ जिसके कारण विवादित मकान भी वादी के स्वामित्व का होना प्रमाणित नहीं होता है। विवादित मकान पर वादी का कभी अधिपत्य रहा है, यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वहीं वादी सहित साक्षियों के द्वारा विवादित मकान पर प्रतिवादी तुलाराम का कब्जा होना स्वीकार कर लेने के पश्चात् एवं उक्त कब्जा प्रकरण के विचारण के दौरान किया गया, इस संबंध में दावे में अभिवचन न होने से विवादित मकान पर वादी का कभी भी कब्जा रहा है यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है। फलस्वरूप विवादित मकान स्थित ग्राम महोली वादी के स्वत्व व अधिपत्य का होना प्रमाणित नहीं होता है जिससे वाद प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

19— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का विवादित मकान पर स्वामित्व व अधिपत्य प्रमाणित नहीं है। उक्त मकान के संबंध में प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में यह कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र गनेशराम ने एक कच्चा घर पाटोरदार लखन पुत्र अल्मा आदिवासी से क़य किया है, जिसकी जानकारी वादियां को लगने के बाद वादिया अपने पूर्व पति अल्मा के पास रुपये मांगने आई थी और जब अल्मा ने रुपये नहीं दिये, तो वादिया अल्मा से नाराज हो गई और प्रतिवादीगण से रुपये मांगने लगी, जिसे न देने पर रुपये एठने के उद्देश्य से यह झूठा दावा पेश किया है।

- 20— प्रतिवादी तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) दोनों ही साक्षी अपने सशपथ कथनों में विवादित मकान अपने अभिवचनों के विपरीत तुलाराम का पुश्तैनी होना बताते हैं, वही दूसरी ओर यह दोनों ही साक्षी उक्त मकान को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र गनेशराम के द्वारा लखन पुत्र अल्मा से गवाहों के समक्ष 42,500/- रुपये में कच्ची लिखापट्टी कर कर्य करना बताता है। अतः यदि मकान पुश्तैनी था तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कर्य करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और यदि मकान कर्य किया गया, तो वह पुश्तैनी नहीं हो सकता है, यदि वादी तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन अपने आप में विरोधाभासी हैं।
- 21— तुलाराम (प्र0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि उसने जमीन की कोई रजिस्ट्री लखन नहीं कराई, वहीं इस साक्षी का यह भी कहना है कि यदि उसके बच्चे ने कराई हो तो उसे पता नहीं है। तुलाराम (प्र0सा0-1) व हरदयाल (प्र0सा0-2) 42,500/- रुपये में लखन के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के पुत्र गनेशराम के पक्ष में कच्ची लिखापट्टी करना बताते हैं, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे इस संबंध में उनकी मौखिक साक्ष्य भी ग्राह्य नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से भी प्रदर्श-डी-1 का पंचनामा प्रकरण में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि फूलाबाई का ग्राम महोली में 20 गुणित 40 वर्गफीट भूमि पर कोई मकान नहीं है तथा वादी के पति रामू का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है, कि वादी ने उसे छोड़कर ग्राम झागर बुमरिया में दूसरे व्यक्ति को पति बना लिया है।
- 22— प्रतिवादीगण की ओर से भी पंचनामा प्रदर्श-डी-1 किसके द्वारा लिखा गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया और न ही उस पंचनामा लेखक सहित पंचनामा साक्षियों के कथन ही न्यायालय में कराये गये, वहीं प्रदर्श-डी-4 जिस व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया गया उसकी साक्ष्य भी न्यायालय में नहीं कराई जिससे उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र पर कथन प्रतिपरीक्षण न होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से भी अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित मकान उनके स्वामित्व का होना प्रमाणित होता हो। चूंकि विवादित मकान पर प्रतिवादी तुलाराम का कब्जा होना वादी सहित उसके साथियों ने स्वीकार किया है तथा वादी का विवादित मकान एवं विवादित मकान की भूमि पर स्वामित्व व अधिपत्य दोनों ही प्रमाणित नहीं है जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण विवादित मकान में वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके आधार पर वादी विवादित मकान के संबंध में प्रतिवादीगणके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं रखता

है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 व 3 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 23- प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा पूर्व में विवादित मकान पर स्वत्व की घोषणा सहित प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी, जिसके लिये वाद का मूल्यांकन 40,000/- रुपये पर कायम कर कुल 700/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता स्वत्व की सहायता के परिणामिक अनुतोष की श्रेणी में आयेगी, जिसके कारण वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 (iv) c के अनुसार न्यायशुल्क गणना कर न्यायशुल्क अदा करना था जिसके लिये इप्सित अनुतोष की रकम का कथन उस पर मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था और ऐसी गणना के लिये वाद मूल्यांकन की अधिनियम की धारा 8 के अनुसार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मूल्य एवं इप्सित अनुतोष की रकम एक ही होगी अर्थात् चाही गई उपरोक्त सहायता के लिये इप्सित अनुतोष की रकम 40,000/- रुपये होगी जिस पर वादी को मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था, जो कि नहीं किया गया। वादी के द्वारा पश्चातवर्ती प्रक्रम पर 1,000/- रुपये प्रतिमाह अंतर लाभ धन की सहायता सहित अनुबंध दिनांक 05.08.2015 को उसके हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की सहायता चाही है परन्तु उक्त सहायता प्राप्त करने के लिये कोई अतिरिक्त न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया। जिससे वाद प्रश्न क्रमांक 4 का प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24- प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह आपत्ति ली है कि वादियां ने आबादी की शासकीय भूमि पर अपना घर होना बताया है, जिसके कारण वादी को मध्यप्रदेश शासन को आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए था। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का सूचना पत्र भी मध्यप्रदेश शासन को नहीं दिया है जिसके कारण यह दावा चलने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से विवादित मकान जिस भूमि पर स्थित है वह शासकीय भूमि होकर ग्राम आबादी की भूमि है और भूमि शासकीय होने से प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन आवश्यक पक्षकार हो जाता है। वादी के द्वारा मध्यप्रदेश शासन को औपचारिक पक्षकार बना कर उसे धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का

सूचना पत्र तक प्रेषित नहीं किया गया। जिससे निश्चित रूप से प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

सहायता एवं वाद व्यय-

25- वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.